**Statement**

*Vacancies in NIRD on the Faculty Side*

| S.No. | Name of the post | Regular vacancies | Temporary vacancies (due to deputation of contract appointment) |
|---|---|---|---|
| 1. | Directors | 4 | 1 |
| 2. | Deputy Directors | 10 | 6 |
| 3. | Assistant Directors | 3 | 8 |

*Vacancies in NIRD on Non-Academic Side*

| S. No. | Name of the Post | Vacancies |
|---|---|---|
| 1. | Assistant Librarians | 2 |
| 2. | Stenographers | 7 |
| 3. | Assistant Hostel Manager | 2 |
| 4. | Caretaker | 1 |
| 5. | Library Attendants | 2 |
| 6. | Additional Head Mali | 1 |
| 7. | Head Chowkidar | 1 |

**Review of MOU for Power Plants**

1245. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether the Planning Commission has suggested a review of the memorandum of understanding between private companies and the States, to set up power plants;

(b) if so, the details of the guidelines issued by the Planning Commission to the State Government in this regard; and

(c) the reaction of State Governments thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise in view of reply to (a) above.

**मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के लिए करार**

1246. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश की उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके संबंध में 1995-96 के दौरान अन्य राज्यों को विद्युत की आपूर्ति करने और अन्य राज्यों से विद्युत प्राप्त करने हेतु कितने मेगावाट विद्युत के लिए अनुबंध किए गये थे और इन परियोजनाओं से राज्य को कितनी मेगावाट की आपूर्ति की जाएगी;

(ख) 30 नवम्बर, 1995 तक किन-किन प्रदेशों द्वारा मध्य प्रदेश को निर्धारित मात्रा में विद्युत की आपूर्ति नहीं की जा रही है और किन-किन राज्यों को निर्धारित मात्रा में विद्युत की आपूर्ति करने में मध्य प्रदेश द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई है;

(ग) 30 नवम्बर, 1995 तक मध्य प्रदेश को किन-किन राज्यों से कितनी-कितनी मात्रा में विद्युत आपूर्ति के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त करना तथा अन्य राज्यों को कितनी-कितनी राशि का भुगतान करना शेष हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सभी राज्यों को अपनी शेष राशियों का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालचारी):** (क) मध्य प्रदेश द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ निष्पन्न किए गए समझौते के अनुसार निम्नलिखित परियोजनाओं में मध्य प्रदेश विद्युत का हिस्सा रखता है:-

| क्र.सं. | केन्द्र का नाम | राज्य जहां स्थित है | अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.) | म.प्र. का हिस्सा (%) | म.प्र. राज्य में स्थित परियोजनाओं में अन्य राज्यों का हिस्सा % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सतपुड़ा-I | म.प्र. | 312.5 | 60 | राजस्थान 40 |
| 2. | गांधी सागर | म.प्र. | 115.0 | 50 | राजस्थान 50 |
| 3. | राणा प्रताप सागर | राजस्थान | 172.0 | 50 | - - |
| 4. | जवाहर सागर | राजस्थान | 99.0 | 50 | - - |
| 5. | हीराकुंड | उड़ीसा | 270.0* | 50 | - - |
| 6. | रिहन्द | उत्तर प्रदेश | 250.0 | 15 | - - |
| 7. | माता टीला | उत्तर प्रदेश | 30.0 | 33.3 | - - |
| 8. | पेंच | मध्य प्रदेश | 160.0 | 66.6 | महाराष्ट्र 33.3 |

*मध्य प्रदेश के लिए निश्चित आवंटन-5 मेगावाट।

(ख) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य समझौते के अनुसार विद्युत की आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य भी राजस्थान को विद्युत की आपूर्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि राजस्थान ने सतपुड़ा स्टेशन के प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च में अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया है। महाराष्ट्र ने पेंच स्टेशन से अपने हिस्से की विद्युत की निकासी कर ली है और मई, 1995 में यह निकासी 16 लाख यूनिट थी। वर्ष 1995-96 के दौरान नवंबर, 1995 तक मध्य प्रदेश ने भी पेंच स्टेशन से अपने हिस्से की विद्युत की निकासी कर ली थी।

(ग) मध्य प्रदेश के अनुसार 30-11-95 तक राज्य द्वारा निम्नलिखित मात्रा में धन राशि प्राप्त की जानी थी:-

| (बोर्ड जिससे धनराशि प्राप्त की जानी है) | (करोड़ रू. में) |
|---|---|
| 1. राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड | 113.91 |
| 2. उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड | 25.41 |
| 3. उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड | 19.05 (20.62 करोड़ रू ब्याज को छोड़कर) |
| 4. आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड | 6.51 |

इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश द्वारा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को 7.72 लाख रूपये का भुगतान किया जाना था।

(घ) ये अर्न्तराज्यीय परियोजनाएं हैं और मामले में मध्यस्थता करने के लिए किसी भी राज्य ने केन्द्र से अनुरोध नहीं किया है।

**Suspension of work on Tehri Dam Project**

1247. SHRI. H. HANUMANTHAPPA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it has been decided to suspend work on the Tehri Dam project and re-examine its further execution with reference to safety, rehabilitation of the oustees and its ecological aspects: and

(b) if so, by when this re-examination is expected to be completed and project work re-started?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) and (b) In the context of objections raised against the Project by Shri Sunderlal Bahuguna who went on fast in April, 1996 demanding review of the Tehri Dam Project and in order to facilitate a proper solution to the problem, Government has agreed to provide all facilities to examine the relevant scientific and technical reports and other information relating to the safety of the Tehri Dam by a group of four experts suggested by Shri Sunderlal Bahuguna. These experts have since been requested to examine the relevant reports and make available their recommendations in about three months time for careful consideration by Government for ensuring that all necessary steps are taken to ensure the safety of the dam.

Government has also shown its willingness to have the ecological aspects, and issues